<u>दिनांक 12.03.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 66ब द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुकरेती प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती ममता उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0 हेतु नियत है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की हाजिरी माफी/स्थगन प्रार्थना पत्र कागज सं0 67ब प्रस्तुत किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र के पार्श्व पर सीन का पृष्ठांकन किया गया। सुना। न्यायहित में स्थगन प्रार्थना पत्र इस आदेश के साथ केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त अभियोग का सारांश बताये जाने हेतु अगली नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 दिनांक 18.03.2024 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पौड़ी गढ़वाल।